



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 562 राँची, सोमवार,

9 नवम्बर, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

04 नवम्बर, 2020

संख्या-08/निकाय/05/2019/न०वि०आ०-2740,-- अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महापौर, गिरिडीह नगर निगम के पद पर श्री सुनील कुमार पासवान का निर्वाचन वर्ष 2018 में हुआ था। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-770/जि०प०, दिनांक-02.12.2019 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि श्री सुनील कुमार पासवान, पिता-श्री परमेश्वर पासवान, मौहल्ला- शीतलपुर, सिरसिया, गिरिडीह के नाम से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को जाति छानबीन समिति द्वारा अपने उपर्युक्त अंकित मूल निवास स्थान प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप रद्द कर दिया गया है।

उपायुक्त, गिरिडीह के प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 4.7 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री पासवान के विरुद्ध उपर्युक्त आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव-बयान की सुनवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-2306, दिनांक-21.09.2020 के द्वारा दो सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई।

जाँच समिति द्वारा श्री पासवान के विरुद्ध आरोपो को प्रमाणित करते हुए दिनांक-21.10.2020 को इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विभाग को अनुशंसित किया गया कि झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 4.12 सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-26 (2) तथा 584 (1) के प्रावधानों के आलोक में श्री सुनील कुमार पासवान, महापौर नगर निगम गिरिडीह को पद से पद मुक्त की जाय।

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 3.16 के प्रावधानानुसार 'यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामले में, जो यथास्थिति उस जाति या वर्ग का सदस्य या महिला नहीं हैं या गलत प्रमाण पत्र या मिथ्या साक्ष्य को आधार बनाकर ऐसे स्थान के लिए निर्वाचित हो गया हो,' तो निर्वाचित किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करते हुए सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

अतएव जाँच समिति की अनुशंसा में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 3.16 के तहत आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप नियमावली के नियम 4.12 के प्रावधानों के तहत श्री सुनील कुमार पासवान, महापौर, गिरिडीह नगर निगम को महापौर पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
